2026 का विधेयक संख्यांक 153

[दि ट्रिब्यूनल्स रिफार्म्स बिल, 2026 का हिंदी पाठ]

अधिकरण सुधार विधेयक, 2026

विभिन्न अधिकरणों के सभापतियों और सदस्यों की पात्रता, नियुक्ति, सेवा के निबंधनों और शर्तों में दक्षता में सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कार्य करने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना और संबंधित अधिनियमितियों में परिणामी संशोधन करने और उनसे सहबद्ध या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करें और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के संबंध में किसी निर्देश को उस उपबंध के प्रवृत्त होने के निर्देश के रूप में समझा जाएगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अध्यक्ष" में अधिकरण के सभापति, अध्यक्ष, प्रधान और पीठासीन

अधिकारी सम्मिलित हैं किन्तु आयोग के सभापति सम्मिलित नहीं है;

(ख) "आयोग का सभापति" से राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का सभापति अभिप्रेत है;

(ग) "आयोग" से धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अधिकरण आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" में अधिकरण के उप सभापति, उपाध्यक्ष, उप प्रधान, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य और तकनीकी सदस्य सम्मिलित हैं;

(ङ) "आयोग का सदस्य" से राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य अभिप्रेत है;

(च) "राष्ट्रीय अधिकरण डेटा ग्रिड" से पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकरणों से संबंधित सभी मामले संबंधी जानकारी का भंडार अभिप्रेत है;

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) "विनियम" से धारा 19 के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(झ) "अनुसूची" से इस अधिनियम के साथ संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत है;

(ञ) "खोज-सह-चयन समिति" से धारा 13 के अधीन गठित कोई खोज-सह-चयन समिति अभिप्रेत है;

(ट) "सचिवालय" से धारा 8 में निर्दिष्ट आयोग का सचिवालय अभिप्रेत है; और

(ठ) "अधिकरण" से प्रथम अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

राष्ट्रीय अधिकरण आयोग

राष्ट्रीय अधिकरण आयोग ।

3. (1) राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के नाम से ज्ञात, एक आयोग की स्थापना ऐसी तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, की जाएगी, जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उसे सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

(2) राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

(3) आयोग में एक सभापति और चार सदस्य होंगे, जिनमें से दो न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्य होंगे ।

(4) कोई व्यक्ति,—

(क) अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य होगा, यदि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है;

(ख) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य होगा, यदि वह

उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है; और

(ग) तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य होगा, यदि वह योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है, जिसके पास लोक प्रशासन, वित्त, विधि, लेखाकर्म, बैंककारी, प्रबंधन या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पच्चीस वर्ष से अन्यून का विशेष ज्ञान और अनुभव है ।

आयोग की शक्तियां और कृत्य ।

4. आयोग,—

(क) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकरणों के सभापतियों और सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए, धारा 13 के अधीन गठित खोज-सह-चयन समितियों के माध्यम से चयन प्रक्रिया का संचालन करेगा;

(ख) अधिकरणों के प्रदर्शन का पुनर्विलोकन करेगा और एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार कराएगा तथा केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कराएगा;

(ग) अधिकरणों के सभापतियों और सदस्यों के विरूद्ध शिकायतों की जांच के संचालन की देखरेख करेगा; और

(घ) राष्ट्रीय अधिकरण डेटा ग्रिड विकसित करेगा और बनाए रखेगा ।

आयोग के सभापति और आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि ।

5. (1) आयोग के सभापति और आयोग के सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी:

परंतु केंद्रीय सरकार, आयोग के सभापति और आयोग के न्यायिक सदस्यों के पद पर नियुक्ति करने से पूर्व, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करेगी ।

(2) आयोग का सभापति या आयोग का सदस्य, पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, पद धारण करेगा ।

(3) आयोग के सभापति और आयोग के सदस्यों के पद धारण करने के वेतन, भत्ते और अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

(4) जहां किसी कारण से अध्यक्ष के पद पर रिक्ति उत्पन्न होती है, आयोग का वरिष्ठतम न्यायिक सदस्य, आयोग के सभापति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा, जिस तारीख को कोई नया अध्यक्ष पद धारण नहीं कर लेता है ।

(5) जब आयोग का सभापति, अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है, तो आयोग का वरिष्ठतम न्यायिक सदस्य, आयोग के सभापति के कृत्यों का, उस तारीख तक निर्वहन करेगा, जब तक वह अपने पद का कार्यभार फिर से नहीं संभाल लेता है ।

आयोग के सभापति या आयोग के सदस्य का त्यागपत्र और हटाना ।

6. (1) आयोग का सभापति या आयोग का कोई सदस्य, केंद्रीय सरकार को संबोधित लिखित नोटिस द्वारा, अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा :

परंतु आयोग का अध्यक्ष या आयोग का कोई सदस्य, जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा उसे पहले ही अपना पद छोड़ने की अनुमति न दे दी जाए, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक, या उसके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त अध्यक्ष या सदस्य द्वारा उनका पदग्रहण करने तक, या उसके कार्यकाल की समाप्ति तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, अपना पद धारण करता रहेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, आयोग के ऐसे सभापति या आयोग के ऐसे किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी, जो,—

(क) किसी भी समय दिवालिया है, या दिवालिया घोषित किया गया है; या

(ख) किसी ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ग) आयोग के ऐसे सभापति या आयोग के ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है; या

(घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे ऐसे आयोग के सभापति या आयोग के सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) उसने अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है ।

(3) आयोग के सभापति या आयोग के किसी सदस्य को उसके पद से उपधारा (2) के खंड (घ) या खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट आधार पर तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक उसे उसके विरुद्ध आरोपों के बारे में सूचित न कर दिया गया हो और उसे इस प्रयोजन के लिए गठित किसी समिति द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, आयोजित की गई जांच में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो ।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट समिति की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है ।

रिक्ति, आदि के कारण कार्यों का अविधिमान्य न होना ।

7. आयोग का कोई कृत्य या प्रक्रिया केवल निम्नलिखित कारणों से अविधिमान्य नहीं होगा—

(क) आयोग के, किसी रिक्ति, या गठन के किसी दोष का होना; या

(ख) आयोग के सभापति या सभापति के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति, या आयोग के किसी सदस्य की नियुक्ति में कोई दोष होना ।

आयोग का सचिवालय ।

8. (1) केंद्रीय सरकार, आयोग के सचिव के रूप में भारत सरकार के सचिव के रैंक के अधिकारी को नियुक्त करेगी ।

(2) आयोग का सचिव, सचिवालय का प्रधान अधिकारी होगा तथा आयोग की ऐसी प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जाएं।

(3) सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या तथा उनकी नियुक्ति, सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

(4) सचिवालय उपधारा (5) के अधीन आयोग अध्यक्ष की साधारण तथा प्रशासनिक निगरानी के अधीन रहते हुए ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएं।

(5) आयोग का अध्यक्ष, सचिवालय को साधारण प्रकृति के ऐसे अनुदेश और निदेश जारी कर सकेगा, जो वह आयोग के दक्ष प्रशासन के हित में उचित समझे।

आयोग की बैठकें ।

9. (1) आयोग अपनी बैठकों के आयोजन और कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया का ऐसी रीति में पालन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) आयोग का अध्यक्ष, आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) जब आयोग का अध्यक्ष किसी कारणवश आयोग की बैठकों में उपस्थित होने में असमर्थ होता है, बैठक में उपस्थित आयोग का ज्येष्ठतम न्यायिक सदस्य उसकी अध्यक्षता करेगा।

(4) सभी विषय जो आयोग के समक्ष लाए जाते हैं, आयोग के सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत अयोग के अध्यक्ष की उपस्थिति तथा मतदान भी होगा।

(5) आयोग के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

10. केंद्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् द्वारा विधि द्वारा बनाए गए सम्यक विनियोजन के पश्चात् आयोग को ऐसी धनराशि का अनुदान करेगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने हेतु समुचित समझी जाए।

लेखे और संपरीक्षा ।

11. (1) आयोग उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख अनुरक्षित करेगा तथा ऐसे प्ररूप में लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करेगा जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए।

(2) आयोग के लेखे, ऐसे अंतरालों पर, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी व्यय आयोग द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय किया जाएगा।

(3) आयोग के लेखों की संपरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक तथा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के वही अधिकार, विशेषाधिकार होंगे और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में प्राधिकार वैसा ही होगा जो नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का साधारणतया सरकारी लेखों की संपरीक्षा के संबंध में होता है तथा विशिष्टतया किन्हीं भी पुस्तकों, लेखों, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजों को प्रस्तुत करने की मांग तथा आयोग के कार्यालयों की जांच का अधिकार होगा।

(4) आयोग के भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित लेखे उसकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे, तथा सरकार उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी।

केंद्रीय सरकार को वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना ।

12. (1) सचिवालय प्रत्येक वर्ष में एक बार पूर्व वर्ष के दौरान आयोग के क्रियाकलापों का सत्य तथा पूर्ण लेखा जोखा देने वाली वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा ऐसी रिपोर्ट की प्रतियां आयोग के माध्यम से केंद्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की प्रति केंद्रीय सरकार द्वारा इसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी।

अध्याय 3

अधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों के चयन की रीति तथा सेवा की शर्तें

खोज-सह - चयन समितियां ।

13. (1) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकरणों के अध्यक्षों तथा सदस्यों के चयन के प्रयोजनों के लिए आयोग यथापेक्षित खोज-सह-चयन समितियों का गठन

करेगा।

(2) अधिकरण के अध्यक्ष के चयन की दशा में खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष, जो आयोग का अध्यक्ष होगा;

(ख) एक सदस्य, जो आयोग का तकनीकी सदस्य होगा;

(ग) एक सदस्य, जो आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा;

(घ) एक सदस्य, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट भारत सरकार का कोई सचिव होगा:

परंतु कि राज्य प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष के पद की नियुक्ति की दशा में संबद्ध राज्य सरकार का मुख्य सचिव सदस्य होगा ।

(ङ) दो सदस्य, जो धारा 15 के अधीन विशेषज्ञों के रूप में पैनल में हैं, जो अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का निर्धारण करते हैं; और

(च) एक सदस्य सचिव, जो आयोग का सचिव होगा।

(3) अधिकरण के सदस्यों के चयन की दशा में खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) अध्यक्ष, जो आयोग का न्यायिक सदस्य होगा;

(ख) एक सदस्य, जो आयोग का तकनीकी सदस्य होगा;

(ग) एक सदस्य, जो आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा;

(घ) एक सदस्य, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट भारत सरकार का कोई सचिव होगा:

परंतु कि राज्य प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों के पद की नियुक्ति की दशा में संबद्ध राज्य सरकार का मुख्य सचिव सदस्य होगा।

(ङ) दो सदस्य, जो धारा 15 के अधीन विशेषज्ञों के रूप में पैनल में हैं, जो अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का निर्धारण करते हैं; और

(च) एक सदस्य, सचिव जो आयोग का सचिव होगा।

(4) खोज-सह-चयन समिति के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(5) सदस्य सचिव तथा विशेषज्ञ सदस्यों का कोई मत नहीं होगा।

(6) चयन प्रक्रिया के पश्चात् खोज-सह-चयन समिति, सचिवालय के माध्यम से केंद्रीय सरकार को अपनी सिफारशें अग्रेषित करेगी।

(7) खोज-सह-चयन समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही अविधिमान्य केवल किसी रिक्ति में या समिति के गठन में किसी दोष के कारण नहीं होगी।

अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति।

14. (1) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकरण से संबंधित क्रमिक अधिनियमितियों के होते हुए भी, ऐसे अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, चयन की रीति, नियुक्ति, वेतन तथा भत्ते, त्यागपत्र, हटाया जाना, सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं :

परंतु कि केंद्रीय सरकार इस उपधारा के अधीन नियमों को बनाने में सुसंगत क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता को ध्यान में रखेगी, जो कि अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए अपेक्षित हो।

(2) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, धारा 13 के अधीन गठित खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।

(3) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकरण के अध्यक्ष का कार्यालय या तो चयन प्रक्रिया के माध्यम से या खोज प्रक्रिया के माध्यम से भरा जा सकेगा, जैसा खोज-सह-चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाए।

(4) खोज-सह-चयन समिति अभ्यर्थियों के निर्धारण के लिए ऐसी समग्र प्रकिया का अंगीकार करेगी, जो विहित की जाए:

परन्तु आवेदन की संवीक्षा और अभ्यर्थियों के निर्धारण के महत्व की रीति ऐसी होगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(5) जहां कोई व्यक्ति, जो किसी अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य है या रह चुका है, अधिकरण में चयन के लिए विज्ञापन पर पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन करता है, खोज-सह-चयन समिति उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के अनुसार चयन के लिए उसकी अभ्यर्थिता पर विचार करने के दौरान अधिकरण में उसके पूर्व कार्य निष्पादन पर भी ध्यान देगी:

2020 का 35

परंतु औद्योगिक संबद्ध संहिता, 2020 की धारा 44 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित अधिकरण के सदस्य की पुनर्नियुक्ति से भिन्न मामलों में, जहां सदस्य की पुनर्नियुक्ति हेतु विचार किया जाना होता है, वहां खोज-सह-चयन समिति संबद्ध अधिकरण के प्रधान या अध्यक्ष से परामर्श लेगी।

(6) खोज-सह-चयन समिति यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के पद की नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति की सिफारिश करेगी तथा एक अतिरिक्त नाम प्रत्येक रिक्ति हेतु प्रतीक्षासूची में सम्मिलित करने के लिए सिफारिश करेगी।

(7) सचिवालय, केंद्रीय सरकार को खोज-सह-चयन समिति की सिफारिशें, ऐसी सिफारिश की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर संसूचित करेगा।

(8) केंद्रीय सरकार खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर प्रक्रिया शुरु करेगी तथा ऐसी सिफारिश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उनकी नियुक्ति करेगी।

(9) कोई भी नियुक्ति, आयोग या खोज-सह-चयन समिति की किसी रिक्ति या केवल किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण द्वारा अविधिमान्य नहीं होगी।

विशेषज्ञों का पैनल में रखा जाना।

15. (1) सचिवालय सुसंगत क्षेत्रों से विशेषज्ञों को नियोजन की ऐसी रीति में तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिसके अंतर्गत विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट हित का टकराव भी है, अधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य के पद के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के निर्धारण में सहायता प्रदान करने हेतु पैनल में रखेगा।

(2) विशेषज्ञ, जो उपधारा (1) के अधीन अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का निर्धारण करते हैं, धारा 13 के अधीन यथा गठित संबद्ध खोज-सह-चयन समिति के सदस्य के

रूप में कार्य करेंगे ।

अधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों का हटाया जाना ।

16. (1) केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा निम्नलिखित को अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा सकेगी—

(क) जिसे किसी भी समय पर दिवालिया न्यायनिर्णित किया गया है; या

(ख) जो किसी ऐसे अपराध से दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अद्यमता अंतर्वलित है;

(ग) जो अधिकरण ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक तथा मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(घ) जिसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं जिससे उसके अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है कि उसका निरंतर पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल है;

(च) अयोग्य तथा अदक्ष पाया गया हो; या

(छ) अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय पर किसी संदत्त कार्य में संलिप्त हो ।

(2) जहां अधिकरण के किसी अध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध उपधारा (1) के खंड (घ) से खंड (छ) में विनिर्दिष्ट किन्हीं आधार पर शिकायत प्राप्त होती है, संबद्ध अधिकरण को प्रशासित करने वाला मंत्रालय या विभाग एक प्राथमिक जांच का संचालन यह ढूंढने के लिए करेगा कि क्या शिकायत ऐसे आधारों का प्रकटन करती है तथा सारभूत तथ्यों और दस्तावेजों द्वारा समर्थित है तथा आयोग के अध्यक्ष को, विषय ऐसी रीति में जांच के संचालन के लिए निर्दिष्ट करेगी, जो विहित की जाए तथा आयोग ऐसी जांच के पश्चात् अपनी सिफारशें समुचित कार्रवाई हेतु यदि कोई हो, केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

(3) अधिकरण का कोई भी अध्यक्ष या सदस्य तब तक उपधारा(1) के खंड (घ) से खंड (छ) में विर्निदिष्ट आधारों पर उनके कार्यालयों से नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि आयोग को इस निमित एक निर्देश नहीं दिया जाता तथा उपधारा (2) के अधीन जांच नहीं करवाई जाती।

(4) केंद्रीय सरकार उपधारा (2) के अधीन आयोग की सिफारशों की प्राप्ति पर यथापेक्षित समुचित कार्रवाई करेगी ।

अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि ।

17. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए,—

(क) अधिकरण के अध्यक्ष पांच वर्ष की अवधि या जब तक कि वे सत्तर वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते, जो भी पहले हो, के लिए अपना पद धारण करेंगे; और

(ख) किसी अधिकरण का कोई सदस्य पांच वर्ष की अवधि या जब तक कि वे सडसठ वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते, जो भी पहले हो, के लिए अपना पद धारण करेंगे; और

(2) किसी अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य, धारा 14 के उपबंधों के अनुसरण में पुनर्नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे;

इस अधिनियम द्वारा शासित कतिपय अधिनियमिति के अधीन अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की अर्हताएं, रीति आदि ।

18. (1) पहली अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिनियमिति के अधीन अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, पदत्याग और सेवा की अन्य शर्तों और पुनर्नियुक्ति के लिए अर्हता और पात्रता से संबंधित उपबंध, दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित रहेंगे।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा पहली अनुसूची का संशोधन करेगी तदनुसार उक्त अनुसूची संशोधित की गई समझी जाएगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना की प्रति जारी होने के ठीक पश्चात् संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी ।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

विनियम बनाने की आयोग की शक्तियां ।

19. (1) आयोग, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत कोई विनियम नहीं बनाएगा।

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम—

(क) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन आयोग की बैठकों में उसके कारबार करने और संव्यवहार की रीति;

(ख) आवेदनों की रिक्तियों और प्रक्रियाओं के विज्ञापन की रीति;

(ग) धारा 14 की उपधारा (4) के परन्तुक के अधीन अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के लिए आवेदन और महत्व की संवीक्षा की रीति; और

(घ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन विशेषज्ञों के पैनलीकरण और उनके हितों के संघर्ष सहित निबंधन और शर्तें,

के लिए उपबंध करते हैं ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वे सत्र में हों, तीस दिवस की कुल अवधि जो एक या दो या अधिक उत्तरोत्तर सत्रों मे समाहित होगी, और यदि सत्र के अवसान से पहले अगले सत्र के ठीक पश्चात् या उपरोक्त उत्तरोत्तर सत्र में, दोनों सदन विनियम में किसी उपांतरण के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन विनियम को बनाने के लिए सहमत नहीं होते हैं, तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, विनियम ऐसे ही उपांतरित प्ररूप में प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं रखेगा ; तथापि उन विनियमों के अधीन पूर्व में किए गए किसी भी कार्य की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा

उपांतरण या बातिलीकरण किया जाएगा ।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

20. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र मे अधिसूचना द्‌वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाएगी।

(2) विशिष्टतया, पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध करेंगे, अर्थातः—

(क) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन आयोग के अध्यक्ष या आयोग के सदस्यों के पद धारण करने के लिए वेतन, भत्ते और निबंधन और शर्तें;

(ख) धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन समिति के गठन और जांच की रीति;

(ग) आयोग के सचिव द्‌वारा प्रयोग की जाने वाली आयोग की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां;

(घ) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारियों की संख्या और उनकी नियुक्ति और सेवा के निबंधन और शर्तें;

(ङ) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन सचिवालय के कार्य;

(च) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन लेखा के वार्षिक विवरण तैयार करने के लिए प्ररूप;

(छ) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, चयन की रीति, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, पदत्याग, सेवा से हटाए जाने और सेवा की अन्य शर्तें;

(ज) धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन अभ्यर्थियों के निर्धारण के लिए व्यापक प्रक्रिया;

(झ) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन जांच करवाने की रीति;

(ञ) कोई अन्य मामले, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विहित किए जाएं या किए जा सकेंगे ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वे सत्र में हों, तीस दिवस की कुल अवधि जो एक या दो या अधिक उत्तरोत्तर सत्रों मे समाहित होगी, और यदि सत्र के अवसान से पहले अगले सत्र के ठीक पश्चात् या उपरोक्त उत्तरोत्तर सत्र में, दोनों सदन नियम में किसी उपांतरण के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन नियम को बनाने के लिए सहमत नहीं होते हैं, तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम ऐसे ही उपांतरित प्ररूप में प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं रखेगा ; तथापि उन नियमों के अधीन पूर्व में किए गए किसी भी कार्य की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा उपांतरण या बातिलीकरण किया जाएगा ।

सद्‌भाव पूर्वक किए गए कार्य के लिए संरक्षण

21. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किसी विनियम के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, केंन्द्रीय सरकार या आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य या आयोग के कोई अन्य अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्‌ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक

कार्यवाही नही की जाएंगी ।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा

22. इस अधिनियम के उपबंध, पहली अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियमिति में अंतर्विष्ट किसी बात से असंगत होने पर, अध्यारोही प्रभाव रखेंगे ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

23. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश, पारित होने पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति ।

2021 का 33 **24.**(1) अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 निरसित होता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए—

(क) इस अधिनियम की पहली अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिनियमिति के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही उसी तरह विधिमान्य और उसी तरह प्रभावी होंगे जैसे कि ऐसी बात या ऐसे कार्य दूसरी अनुसूची द्वारा यथा संशोधित उन अधिनियमितियों के तत्सम उपबंध के अधीन किए गए या लिए गए हों;

(ख) प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् नियुक्त अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य की सेवा के लिए वेतन, भत्ते और अन्य निबंधन और शर्तें, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे;

(ग) प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य जिनकी नियुक्ति 1 अक्तूबर, 2021 को उससे पहले क्रमश: अधिनियमिति या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में खोज-सह-चयन समिति के चयन या सिफारिश पर आधारित की गई है, सेवा के लिए वेतन, भत्ते और अन्य निबंधन और शर्तें, ऐसी विनियमिति और उनके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते रहेंगे ।

(घ) अन्य मामलों में, जहां किसी व्यक्ति को अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 का 33 2021 के दूसरे अध्याय के उपबंधों के अनुसार 4 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात और इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले, किसी अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में की गई नियुक्ति और इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से ठीक पहले ऐसे पद धारण किए हुए व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति की तारीख से यथास्थिति पांच वर्ष की अवधि पूरी होने तक, या सत्तर वर्ष की आयु तक, या सड़सठ वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे, और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे; और

(ङ) खंड (घ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें और

नियम, जो अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के दूसरे अध्याय के उपबंधों के अनुसार इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले नियुक्त किए गए थे और इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को ऐसे पद धारण किए हुए हैं, उनके संबंधित कार्यकाल की समाप्ति तक उनके प्रतिकूल रूप से परिवर्तित नहीं किए जाएंगे। 2021 का 33

(3) अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के निरसन के होते हुए और किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री में या उस तत्समय लागू किसी विधि में निहित किसी बात के होते हुए,— 2021 का 33

(क) इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना से पहले, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिकरण के संबंध में गठित कोई भी खोज-सह-चयन समिति, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के अधीन ऐसे अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को जारी रखेगी और उसे पूरा करेगी, और इस प्रकार चयनित और नियुक्त अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य नियम और शर्तें इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा शासित किए जाएंगे; और 2021 का 33

(ख) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के दूसरे अध्याय के उपबंधों के अनुसरण में खोज-सह-चयन समिति द्वारा किए गए चयन या सिफारिश के आधार पर किसी अधिकरण, अपीलीय अधिकरण, या जैसा भी मामला हो, अन्य प्राधिकरण के अध्यक्ष या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई मानी जाएगी। 2021 का 33

(4) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निरसन के प्रभाव के संबंध में सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के उपबंध लागू होंगे।

पहली अनुसूची

[धारा 2(1) देखिए]

क्रम सं.	**अधिकरण/अपील अधिकरण/बोर्ड/प्राधिकरण**	**अधिनियमितियां**
(1)	(2)	(3)
1.	सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)
2.	अपील अधिकरण	तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13)
3.	केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण	प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13)
4.	राज्य प्रशासनिक अधिकरण	प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13)
5.	रेल दावा अधिकरण	रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54)
6.	प्रतिभूति अपील अधिकरण	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15)
7.	ऋण वसूली अधिकरण	ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51)
8.	ऋण वसूली अपील अधिकरण	ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51)
9.	दूरसंचार विवाद निपटारा और अपील अधिकरण	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24)
10.	विद्युत अपील अधिकरण	विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36)
11.	सशस्त्र बल अधिकरण	सशस्त्र बल अधिनियम, 2007 (2007 का 55)
12.	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19)
13.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण	कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)
14.	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35)
15.	केंद्रीय सरकार द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14)
16.	आय-कर अपील अधिकरण	आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का 30)

दूसरी अनुसूची

[धारा 18 देखिए]

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन	**पार्श्व शीर्ष**
(1)	(2)
1. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 की उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—	1962 के अधिनियम 52 का संशोधन।
"(7) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, चयन की रीति, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा की अन्य शर्तें तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 के उपबंधों द्वारा शासित होगी।"।	
2. तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 12क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—	1976 के अधिनियम 13 का संशोधन।
"12क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के किसी अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, चयन की रीति, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा की अन्य शर्तें तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 के उपबंधों द्वारा शासित होगी।"।	चयन, अर्हताएं, सेवा की शर्तें, भत्ते आदि।
3. प्राशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 10ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—	1985 के अधिनियम 13 का संशोधन।
"10ख. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अधिकरण के किसी अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, चयन की रीति, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा की अन्य शर्तें तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 के उपबंधों द्वारा शासित होगी।"।	चयन, अर्हताएं, सेवा की शर्तें, भत्ते आदि।
4. रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 9क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—	1987 के अधिनियम 54 का संशोधन।
"9क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं,	चयन, अर्हताएं, सेवा की शर्तें, भत्ते आदि।

चयन की रीति, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा की अन्य शर्तें तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 के उपबंधों द्वारा शासित होगी।"।

5. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15थक के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

1992 के अधिनियम 15 का संशोधन।

"15थक. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण के किसी पीठासीन अधिकारी और सदस्यों की अर्हताएं, चयन की रीति, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा की अन्य शर्तें तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 के उपबंधों द्वारा शासित होगी।"।

चयन, अर्हताएं, सेवा की शर्तें, भत्ते आदि।

6. ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 में—

1993 के अधिनियम 51 का संशोधन।

(क) धारा 6क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"6क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अधिकरण के किसी पीठासीन अधिकारी की अर्हताएं, चयन की रीति, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा की अन्य शर्तें तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 के उपबंधों द्वारा शासित होगी।"।

चयन, अर्हताएं, सेवा की शर्तें, भत्ते आदि।

(ख) धारा 15क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"15क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के किसी अध्यक्ष की अर्हताएं, चयन की रीति, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा की अन्य शर्तें तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 के उपबंधों द्वारा शासित होगी।"।

चयन, अर्हताएं, सेवा की शर्तें, भत्ते आदि।

7. भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 14छक के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

1997 के अधिनियम 24 का संशोधन।

"14छक. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात

चयन, अर्हताएं,

के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के किसी अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, चयन की रीति, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा की अन्य शर्तें तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 के उपबंधों द्वारा शासित होगी।"। सेवा की शर्तें, भत्ते आदि।

2003 के अधिनियम 36 का संशोधन।

8. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 117क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

चयन, अर्हताएं, सेवा की शर्तें, भत्ते आदि।

"117क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के किसी अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, चयन की रीति, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा की अन्य शर्तें तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 के उपबंधों द्वारा शासित होगी।"।

2007 के अधिनियम 55 का संशोधन।

9. सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 9क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

चयन, अर्हताएं, सेवा की शर्तें, भत्ते आदि।

"9क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अधिकरण के किसी अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, चयन की रीति, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा की अन्य शर्तें तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 के उपबंधों द्वारा शासित होगी।"।

2010 के अधिनियम 19 का संशोधन।

10. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 10क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

चयन, अर्हताएं, सेवा की शर्तें, भत्ते आदि।

"10क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अधिकरण के किसी अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य की अर्हताएं, चयन की रीति, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा की अन्य शर्तें तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 के उपबंधों द्वारा शासित होगी।"।

2013 के अधिनियम 18 का संशोधन।

11. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 417क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

चयन, अर्हताएं,

"417क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात

के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के किसी अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, चयन की रीति, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा की अन्य शर्तें तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 के उपबंधों द्वारा शासित होगी।"। सेवा की शर्तें, भत्ते आदि।

12. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 55 में उपधारा (1क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— 2019 के अधिनियम 35 का संशोधन।

"(1क). इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय आयोग के किसी अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, चयन की रीति, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा की अन्य शर्तें तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 के उपबंधों द्वारा शासित होगी।"।

13. औद्योगिक संबंध संहिता अधिनियम, 2020 की धारा 44 में— 2020 के अधिनियम 35 का संशोधन।

(क) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(4). इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य की अर्हताएं, चयन की रीति, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा की अन्य शर्तें तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 के उपबंधों द्वारा शासित होगी।"।

(ख) उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"9. यदि किसी कारण से किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण या उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित अधिकरण में (किसी अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न) कोई रिक्ति उद्भूत होती है, तो ऐसी रिक्ति को उधारा (5) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी रीति से भरा जाएगा, जो विहित की जाए और ऐसे राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण या राज्य सरकार द्वारा गठित अधिकरण के समक्ष कार्यवाही उसी प्रक्रम से जारी रहेगी, जिस प्रक्रम पर ऐसी रिक्ति भरी

जाती है।"।

14. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 361 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

2025 के अधिनियम 30 का संशोधन।

"(2). इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त किए गए अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, चयन की रीति, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा की अन्य शर्तें तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता उक्त अधिनियम के उपबंधों द्वारा शासित होगी।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

केंद्रीय सरकार ने वर्ष 2015 में अधिकरणों के युक्तिकरण की प्रक्रिया आरंभ की है । वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से, कतिपय अधिकरणों को समाप्त या विलय कर दिया गया है और केंद्रीय सरकार को विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और योग्यता के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके पश्चात्, अधिकरण सुधार (तर्कसंगतता और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 को 4 अप्रैल, 2021 को प्रख्यापित किया गया, जिसे अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। उक्त अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित की गई है और उनकी सेवा की समान निर्बंधनों और शर्तों को उपबंधित किया गया है।

2. उच्चतम न्यायालय ने मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ [(2026) 2 एससीसी 1] के मामले में, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के कतिपय उपबंधों को इस आधार पर रद्द कर दिया कि वे शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विपरीत हैं और उन पूर्व न्यायिक घोषणाओं के अनुरूप नहीं हैं, जिन्होंने अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और कृत्यों को नियंत्रित करने वाले मानकों को स्पष्ट किया है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का निर्देश दिया, जो स्वतंत्र है, पेशेवर विशेषज्ञता रखता है, और विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन और नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया और निरीक्षण तंत्र अपनाता है।

3. तदनुसार, मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, [(2026) 2 एससीसी 1] सहित विभिन्न निर्णयों में उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुरूप, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 को निरसित करने और अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 को पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, विधेयक की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की सेवा के संबंध में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना, योग्यता, चयन की रीति, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, हटाया जाना और अन्य शर्तों के लिए उपबंध करता है। विभिन्न अधिकरण को शासित करने वाली संबंधित अधिनियमितियों में आवश्यक परिणामी संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है।

नई दिल्ली;
6 अगस्त, 2026

अर्जुन राम मेघवाल

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 3 में, दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्यों के साथ उच्चतम न्यायालय के किसी पूर्व न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (उक्त आयोग) तथा अपेक्षित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ भारत सरकार के सचिव की रैंक के किसी अधिकारी की अध्यक्षता में सचिवालय की स्थापना का उपबंध है। विधेयक में उक्त आयोग के सचिवालय के लिए स्तर 14 (संयुक्त सचिव स्तर) के दो अतिरिक्त पदों के सृजन की वांछा भी की गई है।

2. प्रस्ताव में उक्त आयोग और इसके सचिवालय के लिए पदों का सृजन और परिणामस्वरूप प्रशासनिक व्यय अन्तर्वलित हैं। यह प्राक्कलित है कि प्रतिवर्ष 24.79 करोड़ रु. का आवर्ती व्यय और 2.35 करोड़ का अनावर्ती व्यय, कुल मिलाकर 27.14 करोड़ रु. उपगत होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त पूर्व वर्ष की तुलना में दूसरे और तीसरे वर्ष में आवर्ती व्यय में 10 प्रतिशत की वृद्धि और प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित अनावर्ती व्यय में 20 प्रतिशत या 25 प्रतिशत की वृद्धि होना आशयित है।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यदि यह विधेयक अधिनियमित हो जाता है, तो इसमें भारत की संचित निधि में से ऊपर यथावर्णित व्यय सम्मिलित होगा।

प्रत्यायोजित विधान से संबंधित ज्ञापन

विधेयक का खंड 3 राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के नाम से ज्ञात आयोग की स्थापना के लिए उपबंध करता है जिससे प्रस्तावित विधान के अधीन वह प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा समनुदेशित कृत्यों का पालन कर सके । विधेयक के खंड 19 का उपखंड (1) केंद्रीय सरकार के साथ परामर्श से राष्ट्रीय अधिकरण आयोग को विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है, जो कि प्रस्तावित विधान और तद्धीन बनाए गए नियम के साथ असंगत न हो । उपखंड (2) उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में ऐसे विनियम बनाए जा सकेंगे । ये विषय, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित को सम्मिलित करते हैं,—

(क) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अपनी बैठकों के आयोजन और आयोग के कारबार के संव्यवहार की रीति; (ख) रिक्तियों के विज्ञापन तथा आवेदन की प्रक्रिया की रीति; (ग) धारा 14 की उपधारा (4) के परंतुक के अधीन अभ्यर्थियों के निर्धारण के लिए आवेदनों तथा महत्वता की संवीक्षा की रीति; और (घ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन विशेषज्ञों को पैनल में लेने, उनके नियोजन के निबंधन और शर्तें जिसके अंतर्गत हितों का टकराव भी है, की रीति ।

खंड 19 का उपखंड (3), अन्य बातों के साथ, उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन राष्ट्रीय अधिकरण आयोग प्रत्येक विनियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है ।

2. विधेयक के खंड 20 का उपखंड (1) केंद्रीय सरकार के प्रस्तावित विधान के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने तथा उन्हें राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए सशक्त करता है । उपखंड (2) उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे । ये विषय, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित को सम्मिलित करते हैं—

(क) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन आयोग के अध्यक्ष तथा आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते तथा पदभार संभालने के अन्य निबंधन और शर्तें; (ख) धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन समिति के गठन और जांच करवाने की रीति; (ग) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन आयोग के सचिव द्वारा प्रयोग की जाने वाली आयोग की प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां; (घ) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या तथा उनकी नियुक्ति, सेवा के निबंधन और शर्तें ; (ड.) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन सचिव के कार्य; (च) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करने का प्ररुप; (छ) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की अर्हताएं, चयन की रीति, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, हटाया जाना तथा अन्य सेवा की शर्तें; (ज) धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन अभ्यर्थियों के निर्धारण के लिए समग्र प्रक्रिया; (झ) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन जांच के संचालन की रीति; और (ञ) इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए कोई अन्य विषय जो विहित किया जाने वाला है या किया जा सकेगा।

खंड 20 का उपखंड (3) उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है ।

3. विषय, जिसके संबंध में विनियम तथा नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रियात्मक तथा प्रशासनिक ब्यौरे का विषय है और विधेयक में स्वत: उनका उपबंध किया जाना व्यवहारिक नहीं है। इस प्रकार विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन एक सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम संख्यांक 52) से उद्धरण

* * * * * *

129. (1) * * * * * अपील अधिकरण।

(7) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा : 2021 का 33

2017 का 7 परंतु वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों का इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना इस प्रकार जारी रहेगा, मानो वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 के उपबंध प्रवृत्त नहीं हुए थे ।

* * * * * *

तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 13) से उद्धरण

* * * * * *

अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता, सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें।

12क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा : 2021 का 33

2017 का 7 परंतु वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के आरंभ से पूर्व नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों का इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना इस प्रकार जारी रहेगा, मानो वित्त अधिनियम, 2017 की धारा184 के उपबंध प्रवतृत ही नहीं हुए थे ।

* * * * * *

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम संख्यांक 13) से उद्धरण

* * * * * *

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता, सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें।

10ख. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा : 2021 का 33

2017 का 7 परंतु वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के आरंभ से पूर्व नियुक्त अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना इस प्रकार जारी रहेगा, मानो वित्त अधिनियम, 2017 की

धारा184 के उपबंधों प्रवतृत ही नहीं हुए थे ।

* * * * * *

रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्यांक 54) से उद्धरण

* * * * * *

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता, सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें।

9क. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा : 2021 का 33

परंतु वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के आरंभ से पूर्व नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों का इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शास्ति होना इस प्रकार जारी रहेगा, मानो वित्त अधिनियम, 2017 की धारा184 के उपबंध प्रवतृत ही नहीं हुए थे । 2017 का 7

* * * * * *

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का अधिनियम संख्यांक 15) से उद्धरण

* * * * * *

पीठासीन अधिकारी और सदस्यों की अर्हता, सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें।

15थक. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा : 2021 का 33

परंतु वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों का इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना इस प्रकार जारी रहेगा, मानो वित्त अधिनियम, 2017 की धारा184 के उपबंध प्रवतृत ही नहीं हुए थे । 2017 का 7

* * * * * *

ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का अधिनियम संख्यांक 51) से उद्धरण

* * * * * *

पीठासीन अधिकारी और सदस्यों की अर्हता, सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें।

6क. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा: 2021 का 33

परंतु वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों का इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना इस प्रकार जारी रहेगा, मानो वित अधिनियम, 2017 का 7

2017 की धारा184 के उपबंध प्रवतृत ही नहीं हुए थे ।

* * * * * *

2021 का 33 **15क.** इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा: पीठासीन अधिकारी और सदस्यों की अर्हता, सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें।

2017 का 7 परंतु वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों का इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना इस प्रकार जारी रहेगा, मानो वित्त अधिनियम, 2017 की धारा184 के उपबंध प्रवतृत ही नहीं हुए थे ।

* * * * * *

भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का अधिनियम संख्यांक 24) से उद्धरण

* * * * * *

2021 का 33 **14छक**. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा पीठासीन अधिकारी और सदस्यों की अर्हता, सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें।

2017 का 7 परंतु वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों का इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना इस प्रकार जारी रहेगा, मानो वित्त अधिनियम, 2017 की धारा184 के उपबंध प्रवतृत ही नहीं हुए थे ।

* * * * * *

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 36) से उद्धरण

* * * * * *

2021 का 33 **117क.** इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा : अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता, सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें।

2017 का 7 परंतु वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के आरंभ से पूर्व नियुक्त अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना इस प्रकार जारी रहेगा, मानो वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 के उपबंध प्रवतृत ही नहीं हुए थे ।

* * * * * *

सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 55) से उद्धरण

* * * * * *

अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता, सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें।

9क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वित्त अधिनियम, 2017 अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा : 2017 का 7

परंतु वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के आरंभ से पूर्व नियुक्त अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शास्ति होना इस प्रकार जारी रहेगा, मानो वित्त अधिनियम, 2017 की धारा184 के उपबंध प्रवतृत ही नहीं हुए थे । 2017 का 7

* * * * * *

राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 19) से उद्धरण

* * * * * *

अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य की अर्हता, सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें।

10क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अधिकरण के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य को अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा : 2021 का 33

परंतु वित्त अधिनियम, 2017 के के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य का इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शास्ति होना इस प्रकार जारी रहेगा, मानो वित्त अधिनियम, की धारा 184 के उपबंध प्रवृत्त ही नहीं हुए थे । 2017 का 7

* * * * * *

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 18) से उद्धरण

* * * * * *

अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता, सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें।

417क इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा 2021 का 33

परंतु वित्त अधिनियम, 2017 के के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य का इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शास्ति होना इस प्रकार जारी रहेगा, मानो वित्त अधिनियम, की धारा 184 के उपबंध प्रवृत्त ही नहीं हुए थे । 2017 का 7

* * * * * *

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 35) से उद्धरण

*　　*　　*　　*　　*　　*

55. (1)　　*　　*　　*　　*　　*　　राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, आदि।

(1क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के आरंभ होने के पश्चात् नियुक्त किए गए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाया जाना तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, उक्त अधिनियम के उपबंधों द्वारा शासित होंगी । (2021 का 33)

*　　*　　*　　*　　*　　*

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 35) से उद्धरण

*　　*　　*　　*　　*　　*

44. (1)　　*　　*　　*　　*　　*　　औद्योगिक अधिकरण ।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित अधिकरण के न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हताएं, भर्ती की पद्धति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होंगी :

परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का पद या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार में समतुल्य श्रेणी का पद धारण किया हो, वह अधिकरण के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त का पात्र नहीं होगा ।

*　　*　　*　　*　　*　　*

(9) यदि किसी कारण से, किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण या किसी अधिकरण में कोई रिक्ति (अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न) उद्भूत होती है, तब ऐसी रिक्ति को यथास्थिति, उपधारा (4) या उपधारा (5) के उपबंधों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी रीति में भरा जाएगा, जो विहित किया जाए और, यथास्थिति, ऐसे राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण या अधिकरण के समक्ष कार्यवाही उसी प्रक्रम से जारी रहेंगी, जिस प्रक्रम पर ऐसी रिक्ति भरी जाती है ।

*　　*　　*　　*　　*　　*

आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का अधिनियम संख्यांक 30) से उद्धरण

*　　*　　*　　*　　*　　*

361. (1)　　*　　*　　*　　*　　*　　अपील अधिकरण ।

(2) इस अधिनियम में किसी बात पर विचार किए बिना, अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की योग्यताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, हटाव तथा सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन, जो कि,—

2021 का 33 (क) अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ होने के पश्चात उक्त
1961 का 43 आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे;

(ख) वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ होने से पूर्व अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे मानो कि वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 के उपबंध प्रवृत्त ही नहीं हुए हों। 2017 का 7

*   *   *   *   *   *